संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश मध्य प्रदेश

"कचनार" ई–5 पर्यावरण परिसर अरेरा कॉलोनी,हबीबगंज पुलिस थाना के पास,भोपाल–462016
ई–मेल–mptownplan@mp.gov.in, दूरभाष–0755.2427096

सूचना

भोपाल, दिनांक– 29/01/2020

क्रमांक 606 /उपां/टीसी/04/भोपाल/2014 मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक–23 सन् 1973) की धारा 23–क की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन एतद् द्वारा सार्वजनिक जानकारी हेतु यह अधिसूचित किया जाता है कि संचालक, नीचे दी गई अनुसूची में यथानिर्दिष्ट भोपाल विकास योजना 2005 में उपान्तरण प्रस्तावित करता है।

अनुसूची

क्र.	ग्राम	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टर में)	विकास योजना में निर्दिष्ट भू–उपयोग	उपान्तरण पश्चात् उपान्तरित भू–उपयोग
1.	2.	3	4	5	6
1.	खजुरी कालां तहसील हुजूर जिला भोपाल	817/1/2	0.931 हेक्टर	कृषि , वृक्षारोपण	सार्वजनिक एवं अर्धसार्वजनिक (शैक्षणिक) एवं वृक्षारोपण
		योगः–	0.931 हेक्टर		

प्रस्तावित उपान्तरण के ब्यौरे, सूचना प्रकाशन की तिथि से 15 दिन की समयावधि के लिये आम जनता को निरीक्षण के लिये संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय भोपाल तथा वेबसाईट **www.mptownplan.gov.in** पर निरीक्षण हेतु उपलब्ध होंगे।

प्रस्तावित उपान्तरण के सम्बंध में यदि किसी व्यक्ति के कोई आपत्ति/सुझाव हो तो, वह संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, म.प्र. भोपाल अथवा संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय, भोपाल को दैनिक समाचार पत्रों में इस सूचना प्रकाशन होने की दिनांक से 15 दिन के भीतर लिखित में प्रस्तुत कर सकेगा एवं ऐसी आपत्तियाँ या सुझाव जो ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान होने से पूर्व प्राप्त हो, पर संचालक द्वारा विचार किया जाएगा ।

28/01/2020

(स्वतंत्र कुमार सिंह)
संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
मध्य प्रदेश, भोपाल

Scanned with CamScanner